

इस प्रकार तीन चरणों में आदर्श राज्य का निर्माण उन तीन वर्गों के क्रमशः विकास के साथ सम्पन्न होता है जो राज्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं - उत्पादन, रक्षा तथा शासन को प्राप्त अपने तीन गुणों श्रद्धा (Appetite) साहस (Spingit) तथा विवेक (Reason) के आधार पर करते हैं।

जब हम लॉर्टों के आदर्श राज्य के विकास चरण पर दृष्टि डालते हैं तो हमारे सामने आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएँ सामने आती हैं जो निम्न हैं -

(1) दार्शनिक शासक का शासन - लॉर्टों के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन निस्वार्थ कर्तव्य-परायण दार्शनिक शासक द्वारा किया जाये। वह व्यक्ति के विवेक का व्यापक सफल महत्वपूर्ण तत्व समझता है और उसके अनुसार विवेक सम्पन्न व्यक्ति द्वारा ही शासन कार्य किया जाना चाहिए। अपने पुस्तक रिपब्लिक में उल्लेख स्पष्ट किया है कि नगर राज्य में तब तक कण्टों का अस्तित्व होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होगा और विश्व के नरेशों एवं युवराजों में दर्शन की भावना न होगी।

लॉर्टों के अनुसार दार्शनिक शासक का विवेक का प्रेमी, सत्यानुगामी, न्याय प्रिय, निःस्वार्थ, आत्म संयमी शासक स्वभाव वाला ही ही क्षम क्षमरण शक्ति वाला, न के गुणों से लैस होना चाहिए। लॉर्टों आगे दार्शनिक राज्य के लिए कुछ कर्तव्य भी निश्चय किया है जो निम्न हैं -

(क) राज्य में धन और निधनता का प्रवेश रोकना - लॉर्टों के अनुसार दार्शनिक दार्शनिक शासक का यह दायित्व पड़ेगा कि राज्य में निधन अथवा निधनता का प्रवेश न हो क्योंकि धन से विभासिता, आत्मस्य और वैमनस्य पैदा होता है तथा निधनता से कमीनापन से कुकृत्य।

(ख) राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना - राज्य की एकता का कायम रखने के लिये उसे राज्य की सीमा को न तो अधिक बढ़ाना ही चाहिए और न ही अधिक कम करना चाहिए। आ राज्य को आकार इतना होना चाहिए कि वह आत्म निर्भर हो।

(ग) न्याय प्रशासन का कायम रखना।

(घ) शिक्षा पद्धति का बनाये रखना।

(ङ) कानून का निर्माण करना आदि।

यह बात लही है कि आदर्श राज्य का कानून दाशानिक राजाओं द्वारा निर्मित होगा तथा दाशानिक राज्य पर कानून का कोई बंधन नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दाशानिक शासक निरंकुश होना चाहते हैं वरन् मर्यादित होगा क्योंकि उसे कतिपय मर्यादाओं में कार्य करना होगा।

(2) न्याय का अवधारण - लॉर्ड के अनुसार आदर्श राज्य का आधार शिक्षा न्याय का सिद्धांत है। चूंकि आदर्श राज्य में तीन वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर उन तीनों वर्गों का अपना-अपना कार्य दूसरे के कार्य में इलक्ष्य किया बिना करना होता है। इसलिए न्याय राज्य का वह गुण है जो राज्य के वर्गीकरण की तथा कार्य विभाजन को सुचारु रूप से कार्यम रखता है। इस गुण की उपस्थिति के कारण ही राज्य को विभिन्न वर्गों अपने-अपने कार्य क्षेत्रों तक अपनी कार्य क्षमता को सामान रखते हुए अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं प्राथम्यता के आधार पर निश्चय तुरंत कार्य को पूरी समर्थता एवं लगन से सम्पन्न करते हैं एवं प्रपठता को प्राप्त करते हैं। लॉर्ड की दृष्टि में वह राज्य न्याय पर आधारित है जिसमें नागरिक अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों से अपने जिम्मे के कार्य सम्पन्न करते हैं।

(3) शिक्षा योजना - लॉर्ड शिक्षा को आदर्श राज्य का आदर्श आधार स्तम्भ माना है। उसने रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि इसी उल्लेख राजनीतिक विषयक ग्रंथ में मानकर शिक्षा विषयक ग्रंथ माना है। लॉर्ड का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य सम्पन्न करने रहने की प्रेरणा देगी। राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली को अपनाकर एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति को के दृष्टिकोण को लही दिशा में बदला जा सकता है। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की निम्न विशेषताओं पर लॉर्ड जोर देता है -

- (क) शिक्षा राज्य द्वारा ही जानी चाहिए।
- (ख) लुई एवं पुरुषों के लिए समान शिक्षा प्रणाली
- (ग) शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मानसिक दोनों का विकास करना है।
- (घ) शिक्षा का प्रयोजन उत्तम नागरिक बनाना है।